उत्तराखण्ड सरकार
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 26/XXVII(9)/स्टाम्प/2008
देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2008
अधिसूचना

चूँकी राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, अधिसूचना संख्या–62/XXVII(9)/(06/स्टाम्प–विधि/05)/2006, दिनांक 13 फरवरी, 2006 में आंशिक संशोधन करते हुये अधिसूचना में निहित उद्देश्य के लिये 31.03.2009 की तारीख तक रूपये 3,00,000/– (रूपये तीन लाख मात्र) तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 26(1)/XXVII(9)/स्टाम्प/2008 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊ।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. उप–निदेशक, लिथो प्रेस, रूड़की को हिन्दी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग–9 को उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।